न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 43/2020 निर्णय दिनांक — 14.07.2020

1. डालचंद पिता मोतीलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. रामनारायण पिता घीसुलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
3. लक्ष्मण पिता घीसुलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
4. रामसुखी बेवा घीसुलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
5. अमृतराम पिता कनीराम जाट, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल, तह. निम्बाहेड़ा।

— प्रार्थीगण

//बनाम//

1. प्रतापी पत्नी गोरीलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
2. चांद मोहम्मद पिता इब्राहिम मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
3. ताज मोहम्मद पिता इब्राहिम मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
4. अजीज मोहम्मद पिता इब्राहिम मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
5. नजीर मोहम्मद पिता इब्राहिम मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल।
6. गफुरी पुत्री इब्राहिम मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल, तह. निम्बाहेड़ा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मांगरोल की खाता संख्या 246 की आराजी नं. 2253 रकबा 0.1500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 662 की आराजी नं. 2255 रकबा 1.0600 हैक्टेयर व आराजी नं. 3418/2253 रकबा 0.1500 हैक्टेयर और खाता संख्या 58 की आराजी नं. 2254 रकबा 1.4700 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 2257 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि स्थित है, की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मांगरोल की खाता संख्या 246 की आराजी नं. 2253 रकबा 0.1500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 662 की आराजी नं. 2255 रकबा 1.0600 हैक्टेयर व आराजी नं. 3418/2253 रकबा 0.1500 हैक्टेयर और खाता संख्या 58 की आराजी नं. 2254 रकबा 1.4700 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 2257 रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। वर्षा के कारण पत्थरगढ़ी [illegible] होने पर पालना स्थगित की जावे अन्यथा पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में [illegible]

आज दिनांक 14.07.2020 को [illegible] इजलास सुनाया [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:23:55 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशे[illegible]डारी)

उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official